



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को कुल 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना तिंदवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-76/19 धारा 60 आब0 अधिनियम के अभियुक्त मइयादीन पुत्र हीरालाल निवासी मुंगुस थाना तिंदवारी जनपद बांदा को 5000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना तिंदवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-233/23 धारा 60 आब0 अधिनियम के अभियुक्त शकुंतला पत्नी राजकुमार निवासी परागीडेरा जौहरपुर थाना तिंदवारी जनपद बांदा को 5000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।